R.M.M. Law College Saharsa
Lecturer - Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper IX th
Moot Court

कब साक्षियों को हाजिर होने से अभियुक्ति दी जाय और कमीशन जारी किया जाएगा?-

धारा 284 (1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जाँच विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले के परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजरी से अभियुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है।

परंतु जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है वहाँ ऐसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा।

(2) न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी फीस जो न्यायालय अभियुक्ति के खर्चों

की पूर्ति के लिए उचित समझे, अभियोजन द्वारा दी जाय।

कमीशन किसको जारी किया जाएगा (धारा 285)-

(1) यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अन्दर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन यथास्थिति उस महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्षी मिल सकता है।

(2) यदि साक्षी भारत में है किन्तु ऐसे राज्य या ऐसे किसी क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार से केन्द्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं तो कमीशन ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और पारेषित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे।

कमीशनों का निष्पादन (धारा 286)-

कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा जहाँ साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए

उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारण्ट मामलों के विचारण के लिए हैं।
पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे (धारा 282-1).

इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है, अपने-अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निदेश देनेवाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवाधक से सुसंगत समझता है और उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे।

(2) कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है।